महात्मा ज्योतिबा फुले का नारी शिक्षा में अविस्मरणीय योगदान

प्रोफे. डॉ. प्रताप सिंह राणा
शोध निर्देशक
भगवंत विश्वविद्यालय
अजमेर, राजस्थान।

रचना गौतम
शोध–छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग,
भगवन्त विश्वविद्यालय
अजमेर, राजस्थान।

सारांशिका

ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के महान दार्शनिक, शिक्षाविद्, समाज सुधारक, दलितो और महिलाओं के उद्धारक व अग्रदूत के रूप में जाने जाते है। उनके विचार तथा आर्दश वैज्ञानिक दृश्टिकोण व मानवतावादी रहे है, ऐसा सिर्फ इसीलिए नही है कि उन्होंने स्त्रियों, दलित–पिछडे मजदूर, किसानों के उत्थान और विकास के लिए शिक्षा की मशाल जलाई अपितु उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडम्बरों, असमानता और अन्याय के विरूद्ध आन्दोलन भी किये। स्त्रियों की उत्पीड़ना, अवहेलना तथा असामाजिक कुमानसिकता को ज्योतिबा देखा और हृदयगम किया था। स्त्रियों को इस दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को सर्वोपरि बताया। शिक्षा ही वह मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक स्त्री, दलित व पिछडा अपने जीवन स्तर को सामाजिक, आर्थिक रूप से उठा सकता था। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन शैक्षिक और सामाजिक कार्यो व आन्दोलनों को समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्हें महात्मा, क्रान्तिकारी ज्योति, राश्ट्रीय निर्माता, भारतीय पुर्नजागरक के घोतक तथा शिक्षा अग्रदूत भी कहा जाता है।

मुख्य शब्द : शिक्षा व्यवस्था, कन्या पाठशाला, विधवा पुनर्विवाह, प्रौढ शिक्षा, रात्रि पाठशाला, हण्टर कमीशन, छात्रवृति

प्रस्तावना

ज्योतिबा फुले एक वैज्ञानिक दृश्टिकोण, मानवतावादी, युगदृश्टा, समाजिक परिवर्तन लाने वाले महान क्रान्तिकारी तथा समाज प्रवर्तक थे उन्होने स्त्रियों तथा दलितों व किसानों के जीवन में शिक्षा का दीप जलाकर उन्हें आडम्बरों व कुरीतियों के अन्धेरे से निकाला था। स्त्री शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए कन्या पाठशाला, महिला छात्रावास तथा भारत का पहला रात्रि विद्यालय खुलवाये। उन्होंने सर्वजन विकास व उन्नति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण तथा आवश्यक बताया। शिक्षा पर सभी स्त्रियों, दलितो व अछूतों का अधिकार हो इसके लिए मैकाले की फिल्टर नीति का भी विरोध किया। जिसमें शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुँच रही थी। उन्होने सहशिक्षा और समान शिक्षा पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य ओर निःशुल्क हो ऐसा एक प्रतिवेदन हण्टर कमीशन 1882 को सौपा जो कि उनके द्वारा किया गया यह अविस्मरणीय प्रयास था। आज हमारा देश इसी राह पर चल रहा है सर्वशिक्षा व साक्षरता अभियान के रूप में स्त्रियों के सामाजिक उद्धार के लिए उनका पुनर्विवाह, विधवा मुण्डन बंद हो इसके लिए सर्वसम्मती से संकल्प भी पारित किया। आडम्बरो व कुरीतियों की रोकथाम के लिए प्रतिबन्धक ग्रह तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना भी करी। फुले द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनका अतुल्नीय योगदान व नारी उद्धार के लिए, दलित व शोशित वर्ग की उन्नति व विकास के लिए किए गए प्रयासो कार्यो व आन्दोलनों का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उददेश्यः– इस शोध पत्र का मुख्य उददेश्य स्त्रियों के लिए शिक्षा जगत के द्वारा खोलना तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में फैली कुरीतियों व आडम्बरों से पीडित स्त्रियों, दलित व किसानों के उत्थान तथा विकास के लिए ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए अथक प्रयासों, कार्यो व आन्दोलनों का वर्णानात्मक अध्ययन करना तथा उनके शैक्षिक व दार्शनिक विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता का भी अध्ययन करना है।

शोध विधि

शोध पत्र में जहां अतीत से सम्बन्धित व्याख्या हुई वहॉ दार्शनिक शोध विधि तथा जहॉ विशय की वर्तमान उपादेयता सिद्ध की गई है वहॉ वर्णानात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। सरल शब्दों में प्रस्तुत शोध पत्र में दार्शनिक व वर्णानात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के स्रोत

इस शोध पत्र की प्रकृति दार्शनिक व वर्णनात्मक है इसलिए अध्ययन हेतु संकलित आकड़े प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतो से प्राप्त किए गए है। प्राथमिक स्रोत को अन्तर्गत ज्योतिब फूले द्वारा रचित मूल किताबे, लेख, कथन, व्याख्या, भाशण व सम्बोधन सम्मिलित किये गये है। द्वितीय स्रोत के रूप में ज्योतिबा फूले सम्मिलित किए गए। द्वितीय स्रोत के रूप में ज्योतिबा फूले के व्यक्तित्व, जीवनवृत, विचारों तथा कृतिव पर आधारित विभिन्न लेखकों व दार्शनिकों द्वारा लिखित शोध पत्र, लेखन पुस्तके पत्रिकाऐं तथा इन्टरनेट विवरण आदि को प्रयुक्त किया गया है।

ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के एक महान शिक्षक, समाज सुधारक तथा क्रान्तिकारी थे। उन्होंने अपने विचारों व आन्दोलनों से तत्कालीन समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। ज्योतिबा फुले का ही सपना था कि भारत विकास और उन्नति की राह पर चले। हमारे अशिक्षित समाज शिक्षित होकर देश की गतिशीलता को बढ़ावा दे। लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था पर ज्योतिबा फूले का पूर्ण जोर था। उन्होंने अपनी पूरी वैचारिक व सैद्धान्तिक शक्ति स्त्री शोशण, अंधविश्वास, कुरीतियों, आडम्बरों, जातिवाद तथा वर्ग भेद को नश्ट करने में लगा दी थी। ज्योतिबा के आन्दोलन सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा, महिला अधिकार तथा गरीबी उन्मूलन जैसे सामाजिक मुददों के लिए हुआ करते थे।

ज्योतिबा फुले एक मौलिक दार्शनिक भी थे उनकी यह मौलिकता वर्तमान सामाजिक व सास्कृतिक सिद्धान्तों के भी प्रांसगिक है। शिक्षा के द्वारा नारी शक्तिकरण जैसे विशय को सार्वभौमिक रूप देना, ऐसा सिर्फ ज्योतिबा ही कर सकते थे। वह किसी जाति, धर्म, लिंग आदि को महत्व न देकर उनके व्यक्तित्व व चरित्र को महतत्व देते थे। नारी उत्थान, सामाजिक क्रान्ति व पुर्नजागरण के अग्रदूत ज्योतिबा फुले ने कुप्रथाओं, आडम्बरो से मुक्त समानता की भावना रखने वाला स्वस्थ समाज हो, इसी के लिए अमूल्य तथा अविस्मरणीय योगदान दिया।

ज्योतिबा का जन्म महाराश्ट्र के पुणे जिले में गोविन्दराव फुले (पिता) और चिमनाबाई फुले (माता) के घर सन 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। गोविन्द राव फुले चूंकि माली का कार्य करते थे इसीलिए उन्हे 'फुले' संज्ञा दी गई थी। ज्योतिबा फुले की समकालीन सामाजिक व्यवस्था काफी पिछड़ी व शोशण को बढ़ावा देने वाली रही थी। दलित जाति का होने का होने के कारण उन्हें भी सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक दुर्दशा को झेलना पड़ा। यह वह समय था जब दलित तथा पिछड़ें वर्ग को शिक्षा का अधिकार भी नही था। ऐसे में ज्योतिबा

फूले का ज्ञानवान, कुशाग्र बुद्धि का बालक होना सवर्णो को रास नही आया और उनके पिता को सामाजिक बहिश्कार कर डर दिखाकर ज्योतिबा फूले को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन्होंने मराठी भाशा में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ाई छूटने के बाद लगभग 21 वर्श की आयु में आगे की पढ़ाई अग्रेजी भाशा में पुरी की। ज्योतिबा प्रतिभाशाली, ज्ञानवान और वैचारिक क्षमता वाले महान व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और आत्मसात किया जिसके कारण ही परिपक्व आयु में अपनी शिक्षा अंग्रेजी भाशा में प्राप्त की। 1840 ई0 में इनका विवाह सावित्री बाई से हुआ। ज्योतिबा ने अपने घर से ही शिक्षा की ज्योति का प्रसार शुरू किया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करके सावित्रीबाई फूले ने भी इस ज्योति को मशाल का रूप देने में ज्योतिबा फूले का पूरा–पूरा साथ दिया और इसी शिक्षा रूपी मशाल को थामे भारत की पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त किया।

नारी शिक्षा, स्वतंत्रता व जागृति

ज्योतिबा फूले स्त्रियों के सच्चे हितैशी थे। उन्होने स्त्रियो के उत्थान व विकास के लिए त्रिसूत्रीय कार्यक्रम 'नारी शिक्षा नारी स्वतंत्रता, नारी जागृति' को क्रियान्वित किया। वह स्त्रियों के शोशण व दासता के विरोधी थे। फुले ने स्त्रियों को पुरूशो से भी श्रेष्ठ बताया है और इन शोषित और प्रताडित स्त्रियों को उनकी श्रेष्ठता समझाने का जरिया था शिक्षा। उन्हें शिक्षित करके अंधविश्वास और कुरीतियों से निकाल पाना सम्भव था।

नारी शिक्षा का प्रचार व प्रसार तत्कालीन भारतीय समाज नारी शिक्षा के प्रति उदासीन व विमुख था। ज्योतिबा फूले ने गहन चिन्तन मनन किया तो जाना कि इस देश में नारी की दशा दलित व पिछड़े वर्ग से भी निम्नतर स्तर की है और यदि वह नारी दलित व पिछडे वर्ग की हो तो उसकी दीनता व दुर्दशा की कल्पना भी नही की जा सकती। फूले ने दृढ निश्चय किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए सभी प्रयास असफल रहे है। लेकिन वह स्वयं स्त्रियों व दलितों के उत्थान और विकास के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार करेंगे। शिक्षा प्रत्येक स्त्री का अधिकार है जो उसके मिलना ही चाहिए था। जिससे स्त्री सशक्तिकरण भी सम्भव हो सकेगा। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त हो इसकी शुरूआत ज्योतिबा फुले ने अपने ही घर से की थी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले और अपनी मौसेरी बहन सगुणाबाई को शिक्षित करके। घर के पीछे खेतों में अमराई की छॉव में अस्पृश्य नारी शिक्षा की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई। जिसमें ज्योतिबा फुले अध्यापक थे और सावित्री बाई फुले व सगुणा पहली छात्राएं। यह महाराश्ट्र में दलित नारी शिक्षा पहला और ऐतिहासिक प्रयास था। अगस्त 1848में बालिका विद्यालय की स्थापना से अंग्रेज सरकार तथा उच्च वर्गी समाज आदि सभी की आंखे खुली रह गई। ज्योतिबा ने शिक्षा सर्वजन हेतु महाराश्ट्र तथा आस पास के क्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय की स्थापना करी। बंबई प्रेसीडेंसी के शैक्षिक विभाग अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ज्योतिबा फुले ने लगभग 18 विद्यालयों की स्थापना व संचालन किया था।

विधवा पुनर्विवाह

ज्योतिबा फुले ने प्रत्येक वर्ग की बालिकाओं व स्त्रियों की जागृति व उद्धार लिए सामाजिक कार्य व आन्दोलन किय। विधवा स्त्रियां के लिए मानसिक संकीर्णता और कुंठिता प्रत्येक वर्ग में विद्यमान थी। विधवाओं का अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ सती होने की प्रथा कितनी दर्दनाक और असहनीय रही होगी। इसके विरोध में ज्योतिबा फुल ने कई आन्दोलन किए और इसे बन्द कराने में सफल भी हुए। विधवाओं को भी जीने का पूर्ण अधिकार है यह समझाने के लिए उनके पुनर्विवाह के लिए भी आवास उठायी। इस विचार से ही उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग दोनो ने ज्योतिबा फुले को असामाजिक प्राणी ही कह डाला लेकिन ज्योतिबा फुले अपने विचार पर अडिग रहे और 08 मार्च 1860 ई0 को पुणे में शेणवी जाति की एक विधवा और विधुर का पुनर्विवाह सम्पन्न कराया।

विधवा मुण्डन का विरोध :

ज्योतिबा फुले ने विधवाओं की दुर्दशा, उनके प्रति समाज का अमानवीय, अनैतिक तथा अधार्मिक व्यवहार देखा तो करूणामयी फुले का हृदय द्रवित हो उठा। विधवा स्त्रियों अशुभ, कंलक, अशोभनीय मानने वाले समाज को इनकी इच्छा, खुशी और सम्मान से कोई मतलब नहीं होता था। विधवा स्त्री का मुण्डन करवा उसे अंधकारमयी जीवन जीने के लिए घर के पीछे किसी अंधेरे कमरे में छोड दिया जाता था जिससे उसकी परछाई भी छू न सके किसी को। ज्योतिबा फुले इस कुप्रथा के विरोध में खडे हुए और मुबई में सभी बाईयों की एक सभा आयोजित की गई जिसमें लगभग 400 से 500 तक नाई उपस्थित हुए। इस सभा में ज्योतिबा ने विधवा मुण्डन की समस्या और दुश्परिणाम बताए। तब सभा में उपस्थित सभी नाईयों व अन्य व्यक्तियों ने सर्वसम्मती से संकल्प पारित किया कि आज और अभी से कोई भी नाई विधवा मुण्डन नहीं करेगा।

बाल हत्या प्रतिबंधक गृह

ज्योतिबा फुल सन् 1863 में 'भ्रूणहत्या या बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह' नामक संस्था की स्थापना की जिसमें गर्भवती विधवाएं और अविवाहित स्त्रियॉ या लडकियां शर्म के कारण अपने अजन्में बच्चे को तथा स्वयं को खत्म कर देती थी, उनकी गुप्त और सुरक्षित रूप से प्रसूति करायी जाती थी। ये पीडित स्त्रियॉ चाहे तो बच्चे को अपने साथ ले जा सकती थी या फिर संस्था में ही रख सकती थी। यह संस्था उस बच्चे के पालन–पोशण के लिए तैयार रहती थी। यह संस्था अपने में पहली व अनोखी थी। इस संस्था के कारण ज्योतिबा फुले और सावित्रबाई फुल को घोर अपमान और परेशानियों से गुजरना पड़ा था क्योंकि यह धार्मिक कट्टर पंथियों के मुंह पर एक तमाचे के समान था। इसी संस्था में सन् 1874 में काशीबाई नामक ब्राहम्ण विधवा ने एक बालक को जन्म दिया जिसे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुल कानूनी रूप से गोद लिया। जिसका नाम यंशवत ज्योतिराव फुले रखा।

प्रौढ शिक्षा व रात्रि पाठशला

कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रह जाए, शिक्षा सर्वजन के लिए सर्वोपरि हो। इसके लिए सन् 1855 में ज्योतिबा फुले ने प्रौढ शिक्षा का आरम्भ कराया। वे सभी प्रौढ व्यक्ति जो किसी भी कारण से शिक्षा प्राप्त कर पाये ही सभी शिक्षा प्राप्त करने आ सकते थे। मजदूर, किसान, गृहणी या अन्य कोई भी हो। जिन्होंने व्यस्त दिनचर्या के कारण शिक्षा पाने में असमर्थ हो, उन सभी के लिए पहली बार किसी ने सोच और कदम भी उठाया 'रात्रि पाठशाला' के रूप में इस अभियान के अन्तर्गत चलने वाले इन रात्रि विद्यालय में सभी स्त्री व पुरूशों की निजता और स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही दोनों वर्गो (स्त्री–पुरूश) के लिए अलग–अलग रात्रि विद्यालय संचालित किए गए थे। उन्नीसवी सदी में जो अभियान ज्योतिबा फुले ने चलाए थे। वही वर्तमान में 'सर्वशिक्षा अभियान' व 'साक्षरता अभियान' के रूप में क्रियान्वित है।

हण्टर कमीशन को निवेदन

भारत में आरक्षण की नीवं सन् 1882 में हण्टर कमीशन को ज्योतिबा फुले के द्वारा निवेदन भारत में सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसका उददेश्य था तत्कालीन भारत में शिक्षा सम्बन्धी समस्या की जाँच करना। ज्योतिबा फुले ने देश की आज जनता शैक्षि समस्याओं को आयोग के समक्ष रखा। स्त्रियों, दलित व पिछडों के विकास और उत्थान के लिए सर्व शिक्षा महत्वपूर्ण व आवश्यक है यही विचार लेकर उन्होने हण्टर आयोग में निवेदन प्रस्तुत किया व सुझाव भी प्रस्तुत किए–

प्राथमिक शिक्षा हेतु सुझाव

प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी बढायें जाए। जिनमें शिक्षापयोगी सामग्री विद्यमान हो। विद्यालय में उन्हीं शिक्षकों को नौकरी पर रखा जाए जिन्होंने शिक्षक परीक्षा पास की हो। प्राथमिक शिक्षको की स्थिति सुधारने हेतु उनका वेतन 12 रूपये प्रतिमाह से अधिक होना चाहिए।

प्राथमिक विद्यालयों का दायित्व नगर पालिकाओं को दिया जाए। नगर पालिकाओं को विद्यालयों की क्षमता बढाने तथा संसाधन पूर्ति के लिए अनुदान पारित किया जाता था, इस पारित अनुदान की राशि बश्ने पर उसे छात्र हित के लिए व्यय किया जाए। छात्रों को छात्रवृत्ति व पुरस्कार के रूप में इस राशि का उपयोग किया जाए। जिससे छात्रों व अन्य का उत्साहवर्द्धन हो और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहत्तर प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित हो।

उच्च शिक्षा हेतु सुझाव

बंबई विश्वविद्यालय (मुम्बई) से विद्यार्थियों को स्वाध्यायी रह कर प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी जाए। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सरकार के हाथो में ही होनी चाहिए। ऐसे योग्य शिक्षक या शिक्षित व्यक्ति किन्ही कारणों से सार्वजनिक या सरकारी सेवा में नही जा पाते, उन्हें उदार सहायता फंड (अनुदान) देकर उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। समय–समय पर उच्च शिक्षालयों का निरीक्षण करे तथा आवश्यकता होने पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी अनुदान पारित करे। इससे उच्च शिक्षा का विस्तार होगा।

छात्रवृत्ति व आरक्षण की पहल

ज्योतिबा फुले ने सन् 1882 में पहली बार हण्टर कमीशन को समक्ष अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के साथ–साथ छात्रों को छात्रवृत्ति तथा स्त्रियों, दलित व पिछडे वर्ग के सामाजिक व आर्थिक स्तर को सुधारने तथा विकसित करने के लिए शिक्षा व सरकारी सेवा व नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किये जाने को सम्बद्ध में भी ज्योतिबा द्वारा पहली बार निवेदन तथा माँग रखी गई थी। देश के विकास और सामाजिक उद्धार के लिए उठायी गई उनकी यह अनोखी माँग थी, जिससे आज हम व्यवहारिक व साकार रूप में देख सकते हैं।

अभियांत्रिकी (तकनीकी) शिक्षा

ज्योतिबा फुले ने अभियान्त्रिकी शिक्षा का सुझाव भी हण्टर कमीशन को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रयासो से दलित छात्रों को अहमदाबाद के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में निःशुल्क प्रवेश भी दिलवाया। ऐसे कई शैक्षिक कार्य ज्योतिबा फुले ने अपने सत्यशोधक समाज नामक संस्था के माध्यम से पूर्ण कराये थे।

सत्य शोधक समाज

सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितम्बर, 1873 को पुणे (महाराश्ट्र) में करी थी। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त पुरोहितवाद, जाति प्रथा, अंधविश्वास, कुरीतियों, धार्मिक रूढिवादिता, स्त्री–पुरूश के खिलाफ ही ज्योतिबा ने इस संस्था का निर्माण किया। इस संस्था का लक्ष्य सत्यधर्म, सत्यनिश्ठा और सत्याचरण को अपनाना था। शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक भ्रश्टाचार से समाज को बचाने तथा नारी, दलित–पिछडें वर्ग के उत्थान व विकास को लिए किये गये कार्यो व आन्दोलनों के कारण ही मुम्बई में 11 मई 1888 ई0 को एक विशाल जनसभा में उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से नवाजा गया और तभी से ही ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से पहचाना व पुकारा जाने लगा।

निष्कर्ष

महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में शैक्षिक और समाज परिवर्तन के आन्दोलनों के मूल प्रवर्तक है। आधुनिक भारत के निर्माण हेतु उन्होंने अपने विचारों, कार्यो व दृश्टिकोण से प्रेरणा तथा शक्ति दी। वह एक महान कर्मशील मानवतावादी और क्रान्तिकारी विचारक थे। उन्होनें नारी जीवन में शिक्षा रूपी दीप जलाकर उन्हें सम्मान और प्रतिश्ठा दिलाई। वे समाज में स्त्री शिक्षा प्रारम्भ करने वाले एक शिक्षा अग्रदूत थे। भारत की स्त्रियों को पुरूशों के समकक्ष औ सम्मान जनक स्थिति में लाने के लिए वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किये। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों ही देश में नारी शिक्षा आन्दोलन व क्रान्ति के सुत्रधार थे। उन्होंने देश में जिस नारी शिक्षा व मुक्ति का सूत्रपात किया था, उसी की वजह से वर्तमान में अनेक स्त्रियाँ उच्च पदों पर आसीन है। उदाहरण वर्तमान राश्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रोपदी मुर्मु जो कि एक आदिवासी समाज से है।

वर्तमान भारत उनके प्रयासों व आन्दोलनों से अपरिचित है। आज सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ज्योतिबा फुले की ऋणी है क्योंकि उनकी योजनाएँ वैज्ञानिक दृश्टिकोण युक्त थी जिन्हें आज व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। लेकिन आज का भारत उनके प्रयासों, कार्यो व आन्दोलनों से परिचित नहीं है। बिल्कुल अनभिज्ञ है जोकि एक राश्ट्र निर्माता के सम्मान के विपरीत है। उनका सम्पूर्ण जीवन साहित्य, शैक्षिक दर्शन व वैज्ञानिक दृश्टिकोण समाज को एक नई दिशा तथा प्रेरणा प्रदान करने वाला रहा है और वर्तमान व भविश्य में भी रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- भगत, आचार्य सूर्यकान्त, "महात्मा ज्योतिराव फुले जीवन और मिशन" सुधीर प्रकाशन, वर्धा, 2021
- कुमारी, सुशीला, "सामाजिक क्रान्ति की वाहक सावित्रीबाई फुले" प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022
- आचार्य, डा0 हेमलता, "भारत में सामाजिक क्रान्ति के पथ–प्रदर्शक ज्योतिबा फुले" सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2015
- कुमार मनोज, "स्त्री शिक्षा में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का योगदान" जनरल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट;श्र ।छक्त्प्द्धए टवस.28ए 2019
- डा0 नीता, "दलित जागृति और ज्योतिबा का सत्यशोधक समाज" इन्टरनेशनल जनरल ऑफ इनोवेटिव सोशल साईस एण्ड हिम्यूनिटिस रिसर्च, Vol-7, No-2, 2020